

## एबॉट इंडिया का डाइजीन जेल एंटासडि सरिप वापस लया गया

[स्रोत: द हट्टि](#)

एबॉट इंडिया की गोवा फैसलिटी में नरिमति लोकप्रिय एंटासडि सरिप, डाइजीन जेल को स्वाद और गंध के संबंध में ग्राहकों की अलग-अलग शिकायतों के कारण स्वेच्छा से वापस लया जा रहा है।

- भारत का औषधमिहानयितरक (DCGI), जो कि केंद्रीय औषधमानक नयितरण संगठन (CDSCO) का नेतृत्व करता है, ने सफारिश की है कि स्वास्थ देखभालकर्ता परामर्श के दौरान डाइजीन जेल लिखते समय सावधानी बरतें।

### डाइजीन जेल:

- डाइजीन जेल एक लोकप्रिय एंटासडि सरिप है जो एसडिटी और इससे जुड़े लक्षणों, जिसमें सीने में जलन, पेट की परेशानी, पेट दर्द और गैस शामिल हैं, से राहत देने के लिये जाना जाता है।
  - एंटासडि की कार्रवाई के प्राथमिक तंत्र में पेट के एसडि/अम्ल को बेअसर करने के लिये मग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जैसे बुनियादी यौगिकों का उपयोग शामिल है।

### ड्रग रिकॉल:

- ड्रग रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या नयामक प्राधिकरण सुरक्षा चिंताओं, दोषों या अन्य मुद्दों के कारण बाज़ार से उस वशिष्ट दवा को हटा देता है जो रोगियों या उपभोक्ताओं को हानि पहुँचा सकती है।
- वर्तमान में भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो घटिया दवाओं के पूरे बैच को वापस लेने का अधिकार देता हो।
  - भारत में एक व्यापक ड्रग रिकॉल कानून का निर्माण करना अत्यावश्यक है। एक ऐसा कानून जो यह सुनिश्चित करेगा कि जब किसी दवा की पहचान घटिया गुणवत्ता (NSQ) के रूप में की जाए तो पूरे बैच को बाज़ार से तुरंत हटा दिया जाए।

### केंद्रीय औषधमानक नयितरण संगठन:

- केंद्रीय औषधमानक नयितरण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधप्राधिकरण है।
  - CDSCO के नयितरण में 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, 13 बंदरगाह कार्यालय और प्रयोगशालाएँ हैं।
- CDSCO के प्रमुख कार्य:
  - औषधियों के आयात पर वनियामक नयितरण।
  - नई दवाओं और क्लिनिकल परीक्षणों को मंजूरी।
  - औषधिसलाहकार समिति (DCC) और औषधितकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की बैठकें करना।
  - केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कुछ लाइसेंसों को मंजूरी देने का कार्य CDSCO मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

### भारत के औषधमिहानयितरक:

- DCGI भारत में रक्त और रक्त उत्पाद, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी दवाओं की नरिदष्टि श्रेणियों के लाइसेंस की स्वीकृति देने के लिये ज़िम्मेदार है।

DCGI भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक एवं गुणवत्ता भी नरिधारित करता है।

